वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

न्यायिक सक्रियता बनाम् भारत का लोकतंत्र

डॉ. विजय कुमार
सहायक प्राध्यापक - राजनीति विज्ञान
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर

सार संक्षेप

भारतीय न्याय व्यवस्था निरंतर बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है वह निषेधात्मक के स्थान पर परिवर्तित होकर रचनात्मक होती जा रही है। न्यायिक सक्रियता, न्याय व्यवस्था की पुरानी रूढिवादी न्याय व्यवस्था तक सीमित नहीं है, जिसमें कानून की भूमिका अतीत के पुराने ढर्रे से बाहर निकले और मानवता को प्राथमिकता देकर जिसमें गरीबों तथा असहायों को न्याय मिले तथा वह सम्मानजनक, स्वालंबी, निर्भीक, नागरिक बन सके। जब इस तरह की भूमिका न्यायलय द्वारा शासन - प्रशासन की निष्क्रियत के विरूद्ध कठोर होकर सक्रिय हो जाती है तब इसे मीडिया की भाषा में न्यायिक सक्रियत कहते है। दूसरे शब्दों में जब न्यायपालिका सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के प्रमुख अंगो कार्यपालिका, व्यवस्थापकिा के कार्य क्षेत्र में हस्ताक्षेप कर स्वयं जनहितैषी कार्यों में भूमिका निभाने लगती है, तब वहीं व्यवस्था न्यायिक सक्रियता कहलती है।

बीज शब्द

लोकतंत्र, कानून, न्यायिक सक्रियता, जनहित संरक्षण, न्यायिक हस्ताक्षेप, न्यायिक तानाशाही।

प्रस्तावना

आदिम मानव जैसे-जैसे सभ्य होता गया और बड़े परिवार के रूप में अपना कुनवा बढ़ाया यहीं स्थिति एक दिन गांव और गांव से शहर तथा महानगरों के रूप निर्मित होता गया। इसी मध्य क्रम में लोगों ने राज्य जैसी सर्वोपरि संस्थाओं का निर्माण किया राज्य अपना सही ढ़ंग से कार्य कर सके इसके लिए विभिन्न संस्थाओं का गठन किया इन्हीं में से एक न्याय पालिका थी। न्यायपालिका का विकास सभ्यता के विकास के साथ परिवर्तित हो गया। इस आधुनिक प्रजातंत्र

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

ने सरकार को तीन अंगो में विभाजित कर रखा है। जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है। भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ-साथ संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। जिसमें केन्द्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। कभी-कभी राज्यों के मध्य या केन्द्र - राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर तनाव उत्पन्न हो जाता है। तब न्यायपालिका दोनों के मध्य सामंजस्य लाने का कार्य करती है, साथ ही समाज में विषमता, शोषण गरीबी, असमनता, बृद्धजन, स्त्री, बच्चे एवं अनेक क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने जैसा पवित्र कार्य न्यायिक सक्रियता के रूप में करती है और भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ रखने में सहयोग देती है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का अध्ययन करना।
2. जनहित याचिका (जनहित में प्राप्त जानकारी किसी भी माध्यम से) द्वारा शोषित वर्ग की सहायता करना।
3. न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से शासन के अंगों को उत्तरदायित्व की स्वप्रेरणा देना।

शोध प्रविधि

'न्यायिक सक्रियता बनाम् लोकतंत्र' विषय के शोध पत्र में द्वितीयक डेटा का इस्तेमाल किया गया है जिसके प्रमुख स्त्रोत किताबें, व्यक्तिगत स्त्रोत, पत्र-पत्रिकायें, वेबसाइट, सरकारी रिकार्ड आदि सम्मिलित किये गये। सम्पूर्ण शोध पत्र में वर्णात्मक स्त्रोत प्ररचना का इस्तेमाल किया गया। ''जिस प्रकार एक भवन निमार्ण के लिए ईट, चूना, सीमेंट, पानी, तथा कुशल कारीगारों को आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार से अनुसंधान के लिए अध्ययन पद्धतियों, प्रविधियों एवं समग्र रूप से अनुसंधान प्ररचना की आवश्यकता होती है।''[1]

न्यायिक सक्रियता के महत्वपूर्ण कदम

भारत में न्यायपालिका की सक्रियता आपातकाल के 1971 के बाद के वर्षों में देखी जा सकती, जब यह पूर्ण रूप से कार्यपालिका को कर्तव्यनिष्ठ बनाने हेतु महती भूमिका निभाने लगी। भारत

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

में न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को 1970 के दशक के मध्य में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति बी. आर. कृष्णा आयर, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नीव रखी है। ''यह प्रश्न भी न्यायपालिका की सक्रियता पर उठना स्वाभाविक है, कि जो संस्था (न्यायिक संस्था) कुछ दिनों पहले सिर्फ नागरिकों के विवादों को निपटान करने तथा संविधान के पदावलियों की व्याख्या करने तक सीमित थी, उसे न्यायिक सक्रियता की ओर कदम क्यों बढ़ाने पड़ गये। अत: इसका उत्तर काफी स्पष्ट है कि शासन के महत्वपूर्ण अंग कार्य-पालिका, व्यवस्थापिका शासन कार्यों के निर्वहन में असफल हुई है''[2] इसी का परिणाम है न्यायपालिका द्वारा भारतीय शासन को अपने कार्यक्षेत्र में पुन: सक्रिय सहयोग के लिए अभिप्रेरित किया जाए। न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण विशिष्टता व्यक्ति के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए, जन सरोकारों के प्रति प्रखर न्यायिक दृष्टिकोण का परिचय देना है। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ''न्याय के हित में कोई भी आदेश सुनाने के लिए उसके पास असाधारण संवैधानिक शक्तिया है, भले ही ऐसा करने के लिए वैधानिक प्रावधानों से बाहर निकलना पड़े वह निकल सकता है।''[3] यह सब अकारण नहीं है, कि आज समाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर अपंग शोषित वर्ग की ओर से कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए न्यायालय में फरियाद कर सकता है। यह कहना संगत होगा कि इस रूप में विधि के शासन और सविधानवाद को काफी बल मिला है। न्यायिक सक्रियता की दूसरी विशिष्टता अनुच्छेद 21 है जिसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का सरक्षण प्रदान किया गया है, इस संरक्षण अनुच्छेद में कार्यपालिका व्यक्ति को उसके जीवन तथा स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है अत: इसी मनमानी पर अंकुश लगाते हुए ''सर्वोच्य न्यायालय आगे आया उदाहरण स्वरूप एक ऐसा मामला जिसमें ''मेनका गांधी बनाम् भारत संघ'' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वचित करने की प्रक्रिया विवेक-संम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होना चाहिए''।[4] न्यायिक सक्रियता के रूप में भारतीय लोकतंत्र में नवचेतना का प्रार्दुभाव हुआ। लोकतंत्र में ऐसे वर्ग जों साधन विहीन, भाग्यवादी तथा आमजन है उनकी आस्था बढ़ी है।

जनहित संरक्षण के क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता का बड़ा योगदान रहा जिसमें एक मामला ''हुसैन आरा खातून बनाम् बिहार सरकार'' था।[5] यह मामला विहार जेल में ऐसे कैदी जो

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

विचाधीन थे उनकी दयनीय दशा से संबंधित था। एक अखबार की खबर के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हजारों कैदियों को मुक्त कराया। जिससे ये रेंखाकित होता है कि ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।

एक ऐसा ही मामला जिसमें न्यायालय ने सक्रियता दिखाई वह था बंधुवा मुक्ति मोर्चा बनाम् भारतीय संघ'' जिसे एक संस्था के पत्र मात्र को साक्ष्य मानकर जिसमें फरीदकोट जिले की पत्थर खदान में बड़ी संख्या में मजदूर अमानवीय हालत में जिसमें कई श्रमिक बधुवा भी है। न्यायालय को इसकी जानकारी प्राप्त हुई इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा एक आयोग गठित किया जिसमें प्राथमिक जांच से आरोप सत्य पाये गये। अत: न्यायालय ने सरकार को आगाह किया कि जनहित के ऐसे मामलों का स्वागत किया जाना चाहिए और यथोचित आगे आकर बंधुवा मजदूरों की स्थिति को सुधारना चाहिए। न्यायिक सक्रियता के और भी आनेको सार्थक कदम है जिसमें गंगा प्रदूषण, दिल्ली में डीजल का इस्तेमाल करने वाले वाणिज्यिक वाहनों द्वारा फैल रहे वायु प्रदूषण। ऐसे अनेकों मामले जो कि शीर्ष अदालत के समक्ष आयें इन्हीं दबाव के आगें संसद को कानून बनाना पड़ा। न्यायलय के कुछ सार्थक पहल के कारण शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा गया, जनप्रतिनिधिव्त अधिनियम में संशोधन करके प्रत्याशियों की सम्पूर्ण जानकारी दिये जाने को अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही सूचना अधिकार के निर्माण के लिए भी पहल की गयी। न्यायालय के इस कदम से बेहिचक यह कहा जा सकता है कि शासन के अंगो की अक्षमता जिसमें आमजन पीड़ित होता है तब तीसरे स्तम्भ न्यायपालिका को लोकतंत्र को बचाये रखने जैसा सदकार्य करना पड़ता जो अत्यंत प्राशंसनीय है। इतने प्रशंसनीय कृत्य को करने के बावजूद न्यायालय आलोचना से मुक्त नहीं रहा। जिस पर कठोर प्रतिक्रिया राजनीतिक क्षेत्र से आ रही है इस क्षेत्र का कहना है कि न्यायालय न्यायिक सक्रियता की वैध सीमाओं को पार करती जा रही है परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता न्यायिक निरंकुशता में परिवर्तित होती जा रही है अत: यह तर्क भी दिया गया की लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि प्रत्येक अंग एक-दूसरे की शक्तियों तथा सेवाधिकार का सम्मान करें।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को सजोकर रखने में न्यायिक सक्रियता अत्यन्त सफल रही है। आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को ध्यान में रखकर न्यायपालिका में अपनी भूमिका में सार्थक परिवर्तन किया है। अत: यह कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी सक्रियता की कार्यवाही से कार्यपालिका व व्यवस्थापिका को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के प्रयास किये है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्य भी स्थापित हुऐ हैं।

सुक्षाव

1. जनप्रतिनिधि सदन अपनी जिम्मेदारियों को ठीक वैसे ही निभाने का प्रयास करें जैसे न्यायपालिका निभा रही है।
2. देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि सभी निकाय जन कल्याण की भावना से काम करें। इसके लिए सर्वाधिक भूमिका देश की संसद व न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को उचित कदम उठाना होगा।
3. इस देश के लोकतंत्र को एक आदर्श लोकतंत्र बनाने के हेतु व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्यख्या के अनुसार कर्तव्यनिष्ठता का पालन करते हुए करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Pope J.D. research methods procedure in agri economics, social Science research council, new year 1980 p. 107
2. पी.एन. भगवती: 1997 ए-आई.आर. 1360, 1979 एस. सी. आर. (3) 169 12 फरवरी 1979
3. प्रो. सेवा सिंह बाजवा भारत में न्यायिक सक्रियता 1 जनवरी 2023 पृ. 264
4. Posted by S.K. sukla -UPSC Exam at 11:52 pm Nyayik kakriyata ke pichhe ke sach

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

5. पीपर्ल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 1982 ए. आई. आर.1473, 1983 एस. सी. आर. (1) 456

पत्र-पत्रिकायें एवं जर्नल

1. Judicial review of presidential proclamatioue under article 356 by R-parkas supri m court case journal 13, 1998
2. The U.P. Journal of political science, the U.P. Political science association, Kanpur.

News Paper & magazine

1. The Indian Express, New Delhi.
2. The Time of India, New Delhi.

SKU SHODH SANCHAR शोध संचार